तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 18 / 2018 हरजिन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
25.07.2019	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर चक 3 एल.पी.एम. ए तह. रायसिंहनगर का प.नं. 266 / 360 मु.नं. 6 की 5.013है. नहरी भूमि व मु.नं. 7 प.नं. 265 / 360 में 0. 266है नहरी मय खाला भूमि कुल 5.279 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में जमावंदी के कॉलम सं. 4 में जहां वादी का नाम हरजिन्द्र सिंह लिखा है के स्थान पर हरजिन्द्रसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह अंकित कर डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2–3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि हरजिन्द्र सिह के नाम रकवा 1.760है. जो कि वर्तमान में ओ.वी.सी. शाखा समेजा के पास मूर्तहीन हैं। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में हरजिन्द्र सिंह है तथ वादी द्वारा बैंक में अपने पहचान संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की पासबुक की चित्रप्रति प्रस्तुत की जिसमें वादी का नाम हरजिन्द्र सिंह था। वादी द्वारा स्वयं बैंक में उपस्थित होकर अपनी पहचान संबंधि दस्तावेज हरजिन्द्र सिंह के प्रस्तुत किए जिसके पश्चात वादी को हरजिन्द्र सिंह के नाम से बैंक शाखा द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया तथा वादी द्वारा हरजिन्द्र सिंह के रूप में हस्ताक्षर किये गये। इसके अतिरिक्त वादी के पास राजेन्द्र सिंह के नाम अन्य जगह कृषि भूमि थी जिस पर वादी ने राजेन्द्र सिंह बनकर ओ.बी. सी. बैंक गुड्डुवाला जिला श्रीगंगानगर से ऋण प्राप्त किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं की गयी है। तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर के पत्रांक / भू.अ. / 18 / 574 दिनांक 11.02.2018 के अनुसार चक 3 एल.पी.एम. ए के खाता सं. 7 के मु.नं. 6–7 में कुल 5.279है. कमाण्ड मय खाला भूमि हरजिन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह के नाम 1 / 3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। हरजिन्द्र सिंह एवं राजेन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मूल निवास. परिचय पत्र पुराने में नाम हरजिन्द्र सिंह अंकित है तथा नये मूल निवास परिचय पत्र में नाम राजेन्द्र सिंह अंकित है। इसके अलावा राशन कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत चानणा का प्रमाण पत्र की फोटोप्रतियां पेश की गई हैं, जिसमें राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह अंकित हैं। तथा प्रार्थी के आधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस व पेन कार्ड में नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह अंकित हैं। प्रार्थी चक 3 एलपीएम ए के खाता सं. 07 में अपना नाम हरजिन्द्र सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह करवाना चाहता हैं। पक्षकारान के अधिवक्तागण बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी को घर में हरजिन्द्र सिंह नाम	

(सिन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

से जानते हैं, इसलिए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय सही नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरजिन्द्र सिंह अंकित करवाया गया। जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेज राजेन्द्र सिंह नाम से हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में हरजिन्द्र सिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह अंकित करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं. 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। अतः खर्चा जवाव देही दिलवाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम जमावंदी वाके चक 3 एल.पी.एम. ए तह. रायसिंहगनर में हरजिन्द्र सिंह हैं। जमाबंदी चक 1 सी.सी. तह. पदमपुर में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह अंकित हैं। जवकि आधार कार्ड व परिचय पत्र व टीसी मूलनिवास में नाम राजेन्द्र सिंह हैं। प्रार्थी जमावंदी में अपने दोंनों नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्रसिंह करवाना चाहता हैं। मुताविक प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चानणा पंचायत समिति पदमपुर दिनांक 06.12.2017 के राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पुत्र मेंजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 सी.सी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी हैं। राजेन्द्रसिंह उर्फ हरजिन्द्रसिह एक ही व्यक्ति हैं। तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पि. मेजर सिंह किये जाने की अनुशंषा की हैं। ऐसे स्थिति मे वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 3 एल. पी.एम. ए के खाता सं. 7 के मु.नं. 6–7 मे कुल 5.279है. कमाण्ड मय खाला भूमि मे दर्ज हरजिन्द्र सिंह के स्थान पर हरजिन्द्रसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह की दुरूस्ती की जाती हैं। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर